

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- जीयनपुरप्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू के सहयोगी एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधी एहसान उर्फ एहतेसाम उर्फ शेरू पुत्र जुम्न निसमुन्द्रपुर अवैध तमंचा - कारतूस के साथ गिरफ्तार

दिनांक- 20-07-2024 को उ0नि0विजय सिंह गौड़ मय हमराह कस्बा सगडी में संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन की चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति खालिसपुर नहर से कस्बा सगडी की तरफ देशी तमंचा लिए हुए पैदल आ रहा है कही अपराध करने की फिराक में है। इस सूचना पर उ0नि0 विजय सिंह गौड़ मय हमराह द्वारा कस्बा सगडी से करीब एक किलो मीटर नहर के किनारे सडक से अभियुक्त एहतेसाम उर्फ शेरू पुत्र जुम्न निवासी समुन्द्रपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष को 01 देशी तमंचा 315 बोर तथा 01 कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 22.56 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 330/2024 धारा 3/25 A ACT बनाम एहतेसाम उर्फ शेरू पुत्र जुम्न निवासी समुन्द्रपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- एहतेसाम उर्फ एहसान उर्फ शेरू पुत्र जुम्न निवासी समुन्द्रपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी- 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 330/2024 धारा 3/25 A ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 315/2020 धारा 147/149/386/507 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0- 438/2020 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 विजय सिंह गौड़, का0मितिश कुमार, का0 रोहित त्रिपाठी, का0निलेश प्रताप सिंह, का0अर्जुन प्रसाद थाना जीयनपुर आजमगढ़।

थाना अहरौलापाइप चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार; अभियुक्त की निशादेही पर पाइप बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 20-07-2024 को वादी मुकदमा प्रदीप कुमार यादव पुत्र त्रिभुवन यादव निवासी दुल्लापुर पोस्ट सभा थाना भीटी जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि वादी द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ग्राम सभा गनवारा में कनेक्शन किया जा रहा जहां से 04 पाइप अज्ञात चोरो ने चोरी कर लिया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 343/2024 धारा - 303(2) पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दौरान विवेचना अभियुक्त बबलू कुमार पुत्र राजेन्द्र यादव उम्र 27 वर्ष नि0 ग्राम कंदरा थाना- अहरौला जनपद- आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 20.07.2024 को उ0नि0 सुधीर सिंह व उ0नि0 रंजन कुमार साव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त बबलू कुमार पुत्र राजेन्द्र यादव उम्र 27 वर्ष नि0 ग्राम कंदरा थाना- अहरौला जनपद- आजमगढ़ को कंदरा तिराहे से समय करीब 22:30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर चोरी की 04 पाइप बरामद कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- बबलू कुमार पुत्र राजेन्द्र यादव नि0 ग्राम कंदरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष।

बरामदगी- 04 पाइप (चोरी की)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सुधीर सिंह, उ0नि0 रंजन कुमार साव, का0 वरूण कुमार, हे0का0 सुरेन्द्र कुमार थाना अहरौला आजमगढ़।

अवैध तमन्चा - कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 21.07.2024 को उ0नि0 उमेशचन्द्र मय हमराह द्वारा अभियुक्त चन्द्रेश प्रजापति पुत्र राममिलन प्रजापति निवासी ग्राम प्रधानपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को सुलेमापुर चकिया अण्डरपास से 01 कट्टा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 05:50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 261/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 261/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0- 261/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- चन्द्रेश प्रजापति पुत्र राममिलन प्रजापति निवासी ग्राम प्रधानपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 उमेशचन्द्र, प्रशि0 उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्र, का0 सज्जाद, का0 प्रभात त्रिपाठी, का0 जितेन्द्र कुमार, का0 सुजीत कुमार, का0 राकेश गौड़ थाना पवई जनपद आजमगढ़।

थाना- कोतवाली

चोरी की मोटर साइकिल व मोटर साइकिल के अन्य पार्ट्स के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 13.04.2024 को वादी मुकदमा उमेश पुत्र लल्लन राम निवासी कुन्दीगढ़ थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया था कि दिनांक 08.04.2024 को चिल्ड्रेन हास्पिटल आजमगढ़ से वादी की मोटर साइकिल (स्पलेन्डर प्लस) चोरी हो गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 210/24 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➔ दिनांक 22.03.2024 को वादी मुकदमा पवन चतुर्वेदी पुत्र अखिलेश नि. नई कालोनी दरौरा जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी की मोटर साइकिल HMPS स्कूल के सामने से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरी कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 170/24 धारा 379 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➔ दिनांक 29.03.2024 को वादी मुकदमा अश्वनी पुत्र दशरथ नि. भागमलपुर थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी की मोटर साइकिल दिनांक 28.03.2024 को दीवानी कचहरी से किसी अज्ञात द्वारा चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 187/24 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➔ दिनांक 22.04.2024 को वादी मुकदमा प्रमेश पुत्र शंकर यादव नि. बेलइशा थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी की ग्लैमर मोटर साइकिल दिनांक 16.4.24 को कचहरी से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया जिस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 234/24 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➔ वादी मुकदमा इशरार पुत्र अब्दुल जब्बार नि. गोमाडीह थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की मोटर साइकिल स्पलेन्डर को किसी अज्ञात चोर ने कचहरी से चोरी कर लिया है जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 331/24 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➔ वादी मुकदमा राजेन्द्र पुत्र फौजदार नि. बसही थाना तहबरपुर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की मोटर साइकिल कचहरी गेट से किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 71/24 धारा 379 ipc पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➔ दिनांक 06.06.2024 को वादी मुकदमा चन्द्रमा निवासी रसूलपुर थाना सादियाबाद गाजीपुर द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 05.06.2024 को वादी की मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस को किसी अज्ञात चोर द्वारा मुकेरीगंज से चोरी कर लिया गया। जिस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 341/24 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➔ थाना क्षेत्र मे लगातार हो रही मोटर साइकिल चोरी के अनावरण एवं चोरी करने वालों की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द, उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, उ0नि0 देवेन्द्र नाथ दुबे, उ0नि0 विपिन कुमार सिंह, म0उ0नि0 स्मिता गुप्ता, कां0 बसन्तलाल, कां0 संदीप विश्वकर्मा, कां0 विवेक शर्मा, हे0कां0 सर्वेश विक्रम, कां0 अरूण यादव की टीम बनायी गयी।

➔ दौरान विवेचना सीसीटीवी फूटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तो 1. सुनील पुत्र अशोक निवासी मलिक सुदनी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष, 2. श्याम नारायण पुत्र स्व0 फूलचन्द निवासी करखिया थाना रौनापार आजमगढ़ हाल पता मालिक सिंह एन्ड ब्रदर्स ट्रेडिंग कम्पनी हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 57 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण- दिनांक 20.07.2024 को उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द, उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, उ0नि0 देवेन्द्र नाथ दुबे, उ0नि0 विपिन कुमार सिंह मय टीम द्वारा अभियुक्तों 1. सुनील पुत्र अशोक निवासी मलिक सुदनी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष, व 2. श्याम नारायण पुत्र स्व0 फूलचन्द निवासी करखिया थाना रौनापार आजमगढ़ हाल पता मालिक सिंह एन्ड ब्रदर्स ट्रेडिंग कम्पनी हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 57 वर्ष को श्यामनरायन की कबाड़ की दुकान हाफिजपुर से समय करीब 18.40 बजे गिरफ्तार किया गया जिनके पास से 01 मोटर साइकिल (हीरो होन्डा बिना नम्बर), 18 इंजन, 20 चेचिस, 10 साइलेंसर, 24 साकर, 14 टंकी, 4 हेडलाइट, 18 रिम, 3 सीट, 2 हेड लाइट कवर, 3 अगला मड गार्ड, 1 पिछला मडगार्ड, 2 लाकर, 3 लाकर कवर, 1 मोटर साइकिल बैक लाईट पार्ट, 2 सीट के नीचे का फाइवर कवर, 1 कटर एवं मोटर साइकिल के अन्य छोटे पार्ट्स बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुनील पुत्र अशोक निवासी मलिक सुदनी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष,
2. श्याम नारायण पुत्र स्व0 फूलचन्द निवासी करखिया थाना रौनापार आजमगढ़ हाल पता मालिक सिंह एन्ड ब्रदर्स ट्रेडिंग कम्पनी हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 57 वर्ष

बरामदगी- 01 मोटर साइकिल (हीरो होन्डा बिना नम्बर), 18 इंजन, 20 चेचिस, 10 साइलेंसर, 24 साकर, 14 टंकी, 4 हेडलाइट, 18 रिम, 3 सीट, 2 हेड लाइट कवर, 3 अगला मड गार्ड, 1 पिछला मडगार्ड, 2 लाकर, 3 लाकर कवर, 1 मोटर साइकिल बैक लाईट पार्ट, 2 सीट के नीचे का फाइवर कवर, 1 कटर एवं मोटर साइकिल के अन्य छोटे पार्ट्स

पूछताछ का विवरण-

- ➔ अभियुक्त सुनील ने बताया कि उसने उपरोक्त मोटर साइकिलों की चोरी कर उसे कबाड़ी की दुकान पर बेच देता था। कबाड़ी उन मोटर साइकिलों को काटकर तथा चेचिस नं0 मिटाकर चोरी के मो0साइकिलों के सामानों को अलग अलग पार्ट में करके बेच देता है। अवैध लाभ कमाने के लिए हम दोनो मिलकर काम करते है।
- ➔ अभियुक्त श्याम नारायण रजिस्टर्ड कबाड़ी है जो इसी के आड़ में चोरी छिपे चुराई गई मोटर साइकिलों को भी औने पौने दाम में खरीद कर उनके इंजन चेचिस और अन्य पार्ट्स अलग अलग करके मोटर साइकिलों के पार्ट्स को जरूरतमंदो को अलग अलग अच्छे दाम पर बेचता है।

आपराधिक इतिहास-

1- सुनील पुत्र अशोक निवासी मलिक सुदनी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष

| क्र0सं0 | मु0अ0सं0 | धारा | थाना | जनपद |
|---------|----------|------------------------------------|-----------|--------|
| 1 | 201/14 | 379/411 भादवि | मुबारकपुर | आजमगढ़ |
| 2 | 420/24 | 411,413,414,420, 467,468,471 भादवि | कोतवाली | आजमगढ़ |
| 3 | 210/24 | 379 भादवि | कोतवाली | आजमगढ़ |
| 4 | 170/24 | 379 भादवि | कोतवाली | आजमगढ़ |
| 5 | 187/24 | 379 भादवि | कोतवाली | आजमगढ़ |
| 6 | 234/24 | 379 भादवि | कोतवाली | आजमगढ़ |
| 7 | 331/24 | 379 भादवि | कोतवाली | आजमगढ़ |
| 8 | 71/24 | 379 भादवि | कोतवाली | आजमगढ़ |
| 9 | 341/24 | 379 भादवि | कोतवाली | आजमगढ़ |

2- श्याम नारायण पुत्र स्व0 फूलचन्द निवासी करखिया थाना रौनापार आजमगढ़ हाल पता मालिक सिंह एन्ड ब्रदर्स ट्रेडिंग कम्पनी हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 57 वर्ष

| क्र0सं0 | मु0अ0सं0 | धारा | थाना | जनपद |
|---------|----------|------------------------------------|---------|--------|
| 1 | 420/24 | 411,413,414,420, 467,468,471 भादवि | कोतवाली | आजमगढ़ |
| 2 | 210/24 | 379 भादवि | कोतवाली | आजमगढ़ |
| 3 | 170/24 | 379 भादवि | कोतवाली | आजमगढ़ |
| 4 | 187/24 | 379 भादवि | कोतवाली | आजमगढ़ |
| 5 | 234/24 | 379 भादवि | कोतवाली | आजमगढ़ |
| 6 | 331/24 | 379 भादवि | कोतवाली | आजमगढ़ |
| 7 | 71/24 | 379 भादवि | कोतवाली | आजमगढ़ |
| 8 | 341/24 | 379 भादवि | कोतवाली | आजमगढ़ |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द, उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, उ0नि0 देवेन्द्र नाथ दुबे, उ0नि0 विपिन कुमार सिंह, म0उ0नि0 स्मिता गुप्ता, कां0 बसन्तलाल, कां0 संदीप विश्वकर्मा, कां0 विवेक शर्मा, हे0कां0 सर्वेश विक्रम, कां0 अरूण यादव थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 19-07-2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि अभियुक्त गौरव उर्फ विक्की पुत्र अरविन्द निवासी चौखड थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने वादी की भाजी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया तथा अश्लील फोटो बना लिया। जब वादी की भांजी ने शादी करने के लिए कहा तो मना कर दिया और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर वादी की भांजी के साथ दुष्कर्म किया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 264/24 धारा 69,315(2) BNS पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 21.07.2024 को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गौरव उर्फ विक्की पुत्र अरविन्द निवासी चौखड थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को पीजीआई चक्रपानपुर गेट के पास से समय करीब 13.00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया।

गिरफ्तार अभियुक्त- गौरव उर्फ विक्की पुत्र अरविन्द निवासी चौखड थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 264/24 धारा 69,315(2) BNS थाना मेहनगर आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- प्र.नि. संजय कुमार सिंह, का0 हिमांशु गिरी, का0 सर्वेश कुमार, का0 विजेंद्र धुसिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।